न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 4/2018

1. शेरसिंह उर्फ शमशेरसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जीतसिंह उर्फ परमजीतसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रविराजसिंह पुत्र जीतसिंह उर्फ परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार आम जीतसिंह
4. लखवन्द्रि कौर पत्नी जीतसिंह उर्फ परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. तेगबीरसिंह देओल पुत्र हरमीतसिंह आयु 13 वर्ष निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये माता व वलिया अमनदीप कौर पत्नी हरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. उदयबीरसिंह देओल पुत्र हरमीतसिंह आयु 13 वर्ष निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये माता व वलिया अमनदीप कौर पत्नी हरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. हरमीतसिंह पुत्र शेरसिंह उर्फ शमशेरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्टान

15/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीगंगानगर

दिनांक 29.12.2017

उपस्थितिः–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री कुलवन्तसिंह संधू अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 15.01.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे अप्रार्थी संख्या 5 के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित 11.568 है. भूमि किसी अन्य व्यतिक्त को विकय, रहन अथव अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने से निषेध रे तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं है न ही उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है विवादित भूमि अप्रार्थी सं.5 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

सुनवाई करने के पश्तात अधी. न्यायालय ने दिनांक 29.12.2017 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति वाद के निर्णय तक कायम रखने के आदेश दिये गये । उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

15/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट की स्वअंजित भूमि है , अपीलांट अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. नाबालिग है जिनके हितों की रक्षा हेतु अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व का किसी प्रकार से हस्तान्तरण हो जाता है तो वादीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। हक व अधिकार का निर्णय तो मूल वाद में तय होगा। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः अधी. न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय द्वार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारकों का विवेचन बडे ही Vage तरीके से Full of contradictions किया है तथा विवेचन का सन्दर्भ भाग है कि " यह तथ्य सुस्थापित है कि अनावेदक सं. 1 व 4 अभिलेखीय खातेदार है परन्तु विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों अनुसार पारिवारिक विवाद के प्रकरण में अभिलेखीय खातेदार के विरूद्ध

15/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अस्थाई निषेधाज्ञा दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में सिद्ध होता है। इस सम्बन्ध में न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 1997 पेज 591 जगदीशलाल बनाम परमेश्वरलाल में held किया है कि Ordinarily an injuction cannot be granted against a recorded खातेदार। जिन पारिवारिक विवादों में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 1993 पेज 590 में यह विवेचित हुआ है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की garb में " A khetedar in possession should not be disturbed' प्रकरण हाजा में कब्जा अपीलांट के पास है। उपरोक्त के अतिरिक्त न्याय सिद्धांत आर. एल.डब्ल्यू. 1953 पेज 416, आर.एल.डब्ल्यू. 1957(आर.एस.) 74 गोपीराम बनाम ठाकुरजी, आर.आर.डी. 1974 पेज 446 नारायण बनाम मौलाबक्श में साररूप में यह विधिक View प्रतिपादित हुआ है कि " A party who wants temperory injuction must satisfy all three grounds of temperory injuction and not only one or two of them" प्रकरण हाजा में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारकों में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपरिमित क्षति में से सं. 2 सुविधा का संतुलन का व अपूर्णीय क्षति का वर्णन किया है विवेचन नहीं तथा प्रथम दृष्टया केस का वर्णन ही नहीं किया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों में अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.बी.जे. 2016 पेज 468 रिवीजन नं. 5344/2015 कोटा कर्नल संतप्रकाश सिंह बनाम हरजोश सिंह में निर्णय दिनांक 27.06.2016 में held किया है कि RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955- Section 212- It is the established basic principle that the property in dispute to be preserved till final decision of the case. After considering all the factual and legal position, it is the established basic principle that the property in dispute to be perserved till final decision of the case. In this case, the learned trial court ordered for preservation of the property. When the matter was pending, the parties were appearing before the learned lower court; however, in the meanwhile, the suit and interim application were dismissed in default on 15.4.2015 and in between, the non-petitioner (defendant) Harjosh Singh sold out the property to M/s Shiv Associates Borkhera through its partner Dhanna Lal Yogi on 17.4.2015. The suit was got restored on

15/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

26.6.2015. The fact of sale of the disputed land was not brought into the knowledge of the learned trial court and trial court issued the injunction against Harjosh Singh. However, before R.A.A. also, this fact was not disclosed which has been disclosed here during the course of arguments. Keeping in view all these circumstances, I am of the opinion that the property in dispute to be preserved till the disposal of the main suit and as such all concerned parties are directed to maintain the status quo of the property and no further alienation to be made of the property in dispute till the disposal of the suit. Revision petition accepted. [Para 10]

Cases Referred : 1997 RRD 30, 2011 RBJ 174, 1987 RRD 289, 1993 RRD 206, 2004 RBJ 606, 2002 RBJ 106, 2006 RBJ 385, 2001 RBJ 214, 2004 RRD 117, 1986 RRD 214, 2005 RBJ 239, 1984 RRD 492, 2004 RBJ 270, 2004 RBJ 163, 1974 RRD 446, 1978 RRD 377, 1986 RRD 214, 1969 RRD 298, 1961 RRD 227, 1992 RRD 642, 2011 RBJ 424, 2013 (1) RRT 152, 2014 RRT (1) 519, 2016 RRT (1) 419, 2013 RRT (2) 828, 2014 RRT(1) 523, 2015 RRT(1) 633, 2013 RRT(2) 820, 2015 RRT (1) 560, 2013 RRT (1) 133, 2013 RRT(1) 123, 2013 RRT (1) 415, AIR 1973 (SC) 76, 2015 (2) RRD 985, AIR 2009 SC 1527, AIR 1960 (SC) 100, 2015 RRT (11) 1445, 2015 DNJ (1) (SC) 50, 2014 DNJ (3) (SC) 806, 2003 RLW (1) Raj. 597, 2013 (2) RRT (HC) 1225, 2015 DNJ (1) (Raj.) 227, 2016 DNJ (2) (Raj.) 756, 2014 DNJ (2) (Raj.) 612, 2014 DNJ (2) (Raj.) 1070,

अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दूसरा न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 1993 पेज 206 रिवीजन नं. 163/90 जयपुर निर्णय दिनांक 27.11.92 में held किया है कि Rajasthan Tenancy Act, Section 212- In the case of a dispute amogst members of the family even a recorded khatedar can be restrained from selling or otherwise disposing of the land so that unnecessary litigation can by avoided. An order for maintaining status quo in regard to possession should be passed only after coming to a definite conclusion regarding possession on the date of order तथा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.बी.जे.(20) 2013 पेज 216 निगरानी/टी.ए/8721/2012/गंगानगर महेशचन्द बनाम देवीलाल निर्णय दिनांक 23.01.2013 में held किया है कि RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955- Section 213 - During the pendency of suit for partition even a recorded khatedar who is a co-tenant can be restrained from selling or otherwise disposing of the land so that unnecessary litigation can be avoided. In this case, during the pendency of suit for partition non-applicant entered into

15/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

agreement for sale of the land, whereas with-out partition non-applicant who is co-tenant can not sale the land of specific Khasra Nos. Therefore in such cases, even a recorded khatedar who is a co-tenant can be restrained from selling or otherwise disposing of the land so that un-necessary litigation can be avoided. Revision accepted.

रेस्पों. के अभिभाषक द्वारा उपरोक्त न्याय सिद्धांतों का प्रतिकार करते हुए अपने कथनों के समर्थन में More- relevant न्याय सिद्धांत पेश कर जाहिर किया यथा आर.आर.टी. 2012 पेज 217 रिवीजन टीए/8993/हनुमानगढ/2012 विद्यादेवी बनाम मानाराम निर्णय दिनांक 30.11.2012 में held किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955– धारा 212– अस्थाई निषेधाज्ञा– आवेदन खारिज किया–रा.अ.प्रा. ने अपील के साथ पेश स्थगन आदवेदन खारिज किया– अप्रार्थीगण नं. 1 से 3 रिकार्डेड खातेदार हैं तथा उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नहीं की जा सकती– निर्णित, निगरानी सारहीन है व खारिज की। रेस्पो. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय न्याय सिद्धांत आर.आर.टी. 2017 पेज 100 अंकिता बनाम ताराचन्द निर्णय दिनांक 14.06.2017 में held किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955– धारा 212– अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रा.पत्र खारिज किया –अपील में आदेश पुष्ट हुआ– अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीगण का दादा है और उसकी खातेदारी में दर्ज है– प्रार्थी के दादा व पिता जीवित है– पिता के जीवनकाल में प्रार्थीगण के पक्ष में अधिकार सृजन नहीं होते– पहले सुनीता पत्नी रामनिवास पुत्र ताराचन्द का प्रा.पत्र खारिज हुआ– तथ्य को छुपाना– निर्णित, आदेश में अनियमितता या क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है। रेस्पों. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अन्य न्याय सिद्धांत डी.एन.जे. 2015 पेज 59 रिवीजन टी.ए/2587/2010 सीकर with Revision/ TA / 2566/2010/सीकर अवतार खां बनाम मेहरा बानो निर्णय दिनांक 22.04.2014 में held है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955– धारा 212– अस्थाई निषेधाज्ञा–प्रा.पत्र खारिज किये–अपील में आदेश यथावत रहा– रेस्पों. सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि– अस्थाई निषेधाज्ञा से रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता– समवर्ती निष्कर्ष– निगरानी का दायरा

15.1.18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बहुत सीमित है– निर्णित, आदेश में तात्विक अवैधता या क्षेत्राधिकार की त्रुटि नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का विश्लेषण करने, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अपरिहाये कारणों को छोडकर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रकरण हाजा में अधी. न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के विशेष परिस्थितियां विवेचित नहीं की गई है जैसाकि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है एवं विवादित आराजी अपीलांट के कब्जे में है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारकों में से दो का वर्णन व सही विवेचन नहीं करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.12.2017 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर